









**कार्यालय**

**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश सरकार।**

संख्या- प्राविण/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

तखतक दिनांक 09/08/2021

**कार्यालय ज्ञाप-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (आईसी काउन्सिल ऑफ इंजियरिंग नई दिल्ली) द्वारा सैद्धिक सत्र 2021-22 हेतु द्वितीय सरीर तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संभू हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अर्हदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार (पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता) वृद्धि सकिता अथवा घट्टी पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रावृत्तय एवं उसमें अखिल प्रदेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र.सं.	पठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	80	80
2	ELECTRICAL ENGINEERING	80	80
3	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	80	80

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवारी 1982, सेमेस्टर विनियमवारी-2016 तथा अन्य निर्दिष्ट नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तैरा करेगी।
- संस्था को समय-समय पर निर्णित सत्रांतरों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये विधि नियमों/अतिरिक्तियों/सत्रांतरों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश बनाये गये नियमों, विनियमों, अदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी।
- द्वितीय इन फार्मों पर पाठ्यक्रम की संस्थाएँ प्रति पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था उत्तरदायी होगी।
- द्वितीय इन फार्मों पर पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्णित नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की पतिहासिक वृष्टि, भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राण किये जाने बाधा शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- संस्था को शिक्षण-प्रतिष्ठा हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ शैक्षणिक गोलों के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- संस्था पर सुनिश्चित हो कि संस्था में प्रशासनिक संचालित पाठ्यक्रम को चलाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि, भवन, कर्मचारी, उपकरण इत्यादि का प्रति संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपर्युक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुरोध की जावेगी।
- संस्था के कर्तव्य निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जावेगी।
- सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की शिर्ष में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ०सं०- प्राविण/परिषद/सम्बद्धता/2021/3538-4309

दिनांक 09/08/2021

प्राविधिक शिक्षा परिषद, INFINITY INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY, OPP. RADHASWAMI SATSANG BHAWAN, MUZAFFAR NAGAR ROAD

(सुनील कुमार सोनकर)  
सचिव